Annexure – V

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052020-219351
CG-DL-E-12052020-219351

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2020/वैशाख 22, 1942
No. 217] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2020/VAISAKHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2020

सा.का.नि. 291(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, महायक प्रवर्तन निदेशक, भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, में सहायक प्रवर्तन निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्रहता -** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. सहायक प्रवर्तन निदेशक	250* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 60 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 40 % प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समाप्त है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति- 92 % वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में ऐसे प्रवर्तन अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और संबंधित क्षेत्र में विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (ii) 8 % वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 में ऐसे अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और संबंधित क्षेत्र में विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सेवा या केन्द्रीय अन्वेषण सेवा या राज्य पुलिस संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (476000-151100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो या राज्य सरकार या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से अन्य ऐसे	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/ प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर सचिव राजस्व विभाग - सदस्य 3. प्रवर्तन निदेशक - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** 1. अपर सचिव राजस्व विभाग -अध्यक्ष 2. प्रवर्तन निदेशक - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अधिकारी जिन्होंने समतुल्य वेतन में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) (i) विधिक कार्य आसूचना, अन्वेषण कार्य और राजवित्तीय या दाण्डिक विधि से संबंधित न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव रखते हों; या (ii) बैंकिंग या लेखा या लेखापरीक्षा में अन्वेषण में 3 वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित पर नियुक्ति के लिए मूल काडर या विभाग से विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12018/03/2019 प्रशा. प्र. नि.]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2020

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Assistant Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**— The number of the posts, its classification level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, --

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
1	2	3	4	5	6
Assistant Director of Enforcement	250* (2020) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level- 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods**
7	8	9	10
Not Applicable	Not applicable	Two years	(i) Sixty per-cent by promotion failing which by deputation; and (ii) forty per-cent by deputation (including Short Term Contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruits.**
11	12	13
Promotion:- (i) Ninety-two per cent from Enforcement Officer Level - 8 in the Pay Matrix with two years regular	Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion, consisting of:- (I) Chairman or Member, Union Public service Commission - Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an Officer on deputation

service in the grade and have successfully completed training of two to four weeks in the relevant filed as prescribed by the department; and (ii) eight per cent from Superintendent in level-7 in the Pay Matrix with three years regular service in the grade and have successfilly completed training of two to four weeks in the relevant field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** : (Including Short - Term Contract) Officers of Central Services or Central Bureau of Investigation or State Police Organizations or Reserve Bank of India or Public Sector Banks: **(A)** (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) in pay matrix for officers of Central Services or for other officers from State Government or Central Bureau of Investigation or Police Organisations or Reserve Bank of India or Public Sector Banks with three years regular service drawing equivalent pay in the parent cadre or department. **(B)** (i) having three years experience in the field of legal work, intelligence, investigation work and adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws; or (ii) Possessing three years experience in investigative in Banking or Accounts or Audit. **Note:1** The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/ absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration	(ii) Additional Secretary, Department of Revenue - Member (iii) Director of Enforcement – Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:-** 1. Additional Secretary, Department of Revenue, - Chairman 2. Director of Enforcement - Member 3. Joint Secretary, Department of Revenue - Member	(including Short Term Contract).

for appointment by promotion. (Period of deputation (including Short -Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note:2** The maximum age limit for appointment by deputation (including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. A-12018/3/2019-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.